190

संख्याः 364 /XXIV-3/15/02(25)2013

प्रेषक,

डॉ0 एम0सी0 जोशी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3, देहरादून, दिनांकः07 मार्च, 2015

विषयः– विभागीय सहायक अध्यापक (एल0टी0) भर्ती परीक्षा हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र अर्थ–1/35960/5क(15)/01/2014–15, दिनांकः 23 फरवरी, 2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 में उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् द्वारा आयोजित की जाने वाली विभागीय सहायक अध्यापकों (एल0टी0) की भर्ती परीक्षा के लिए धनराशि के भुगतान हेतु चालू वित्तीय वर्ष में विभागीय आय–व्ययक के लेखाशीर्षक की सुसंगत मानक मद में रूपये 6000 हज़ार की प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति शासनादेश संख्याः 196/XXIV-3/15/02(25)2013 दिनांकः 04.02.2015 द्वारा प्रदान की जा चुकी है।

सहायक अध्यापकों (एल0टी0) की भर्ती परीक्षा हेतु प्राप्त आवेदनों के आधार पर आय–व्ययक में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध न होने के कारण संलग्नक बी0एम0–09 (भाग एक) में इंगित विवरणानुसार अनुदान सं0 11–आयोजनागत के अधीन रूपये 14591 हज़ार (रू0 एक करोड़ पैंतालिस लाख इक्यानवें हज़ार मात्र) की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 में पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत करते हुए व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(क) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए यह स्वीकृति दी जा रही है एवं व्यय करते समय विभागीय तथा वित्तीय नियमों/निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(ख) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बज़ट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हों, उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(ग) यह उल्लेखनीय है कि व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(घ) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 318/XXVII (1) /2014, दिनांकः 18.03.2014 एवं शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012,दिनांकः 28.03. 2012 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन किया जायेगा।

(ड़) मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

(ज) मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 2047/XIV–219 (2006) दिनांकः 30.05. 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आंगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

(झ) जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है उस मद में कदापि अतिरिक्त धनराशि की मांग न की जाय।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के अनुदान संख्या–11 के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 02–माध्यमिक शिक्षा, के अन्तर्गत संलग्नकों (बी0एम0–09) में उल्लिखित सम्बन्धित ब्यौरेवार शीर्षक/सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

क्रमशः–2

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः 370 (P)/XXVII(3)2014–15 दिनांकः 03 मार्च, 2015 में प्राप्त सहमति के अनुक्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक– यथोक्त।

भवदीय,

(डॉ0एम0सी0जोशी)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 364/XXIV-3/15/02(25)2013 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन।
3– आयुक्त, कुमायूँ मण्डल नैनीताल/गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
4– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
7– वित्त अनुभाग–3/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
8– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, 23–लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
9– एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
10– अनुभाग अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–2, 4 एवं 5 उत्तराखण्ड शासन।
11– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महिमा)
उप सचिव।